क्रम-संख्या—201

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 जून, 2026

ज्येष्ठ 14, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—5

संख्या 242/81-5—2026

लखनऊ, 4 जून, 2026

अधिसूचना

प0आ0—374

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर आधारित केन नाला, गुलरा, भिनगा आरक्षित वन, श्रावस्ती के क्षेत्र जिसका विवरण नीचे अनुसूची में उल्लिखित है, ''जैव विविधता विरासत स्थल'' के रूप में अधिसूचित करते है।

अनुसूची

जिला	जैव विविधता विरासत स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4
श्रावस्ती	केन नाला, गुलरा, भिनगा आरक्षित वन	80	सीमा (5118 रनिंग मी0) **उ0**— भिनगा आरक्षित वन **द0**— भिनगा आरक्षित वन **पू0**— भिनगा आरक्षित वन **प0**— भिनगा आरक्षित वन

2—पूर्वोक्त जैव विविधता विरासत स्थल के विरासत मूल्य को परिरक्षित करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश अन्य सुसंगत क्रियाकलापों के अलावा निम्नलिखित क्रियाकलाप भी करेगा, अर्थात् : —

(1) पूर्वोक्त जैव विविधता विरासत स्थल क्षेत्र के वनस्पति एवं जीव जन्तु का संरक्षण।

(2) विविध जैव प्रजातियों पर शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के साथ—साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

(3) केन नाला, गुलरा, भिनगा आरक्षित वन, श्रावस्ती (जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित) पर सुसंगत पर्यावरणीय अधिनियमों/नियमों का अनुपालन।

(4) जैव विविधता अधिनियम, 2002 व तद्धीन बनायी गयी नियमावली और जैव विविधता विरासत स्थल (बी0एच0एस0) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य।

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 242/LXXXI-5–2026 dated June 4, 2026 :

No. 242/LXXXI-5–2026

Dated Lucknow, June 4, 2026

IN exercise of the powers conferred by Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (Act No. 18 of 2003), the Governor, based on the recommendations of the Uttar Pradesh State Biodiversity Board, is pleased to notify the area of Ken Nala, Gulra, Bhinga Reserve Forest, Shrawasti, details of which are mentioned in the Schedule below, as a "Biodiversity Heritage Site".

SCHEDULE

District	Name of Biodiversity Heritage Site	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4
Shrawasti	Ken Nala, Gulra, Bhinga Reserve Forest	80	Boundary (5118 Running Meter) **N-** Bhinga Reserve Forest **S-** Bhinga Reserve Forest **E-** Bhinga Reserve Forest **W-** Bhinga Reserve Forest

2. In order to preserve the heritage value of the aforesaid biodiversity heritage site, the Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, apart from other relevant activities, will undertake the following activities, *namely*:-

(1) The conservation of flora and fauna of the aforesaid Biodiversity Heritage Site area.

(2) Organizing awareness programmes along with providing education materials on species diversity.

(3) Compliance of relevant Environment Acts/rules at Ken Nala, Gulra, Bhinga Reserve Forest, Shrawasti (declared as Biodiversity Heritage Site).

(4) Any other works related to implementation of the Biological Diversity Act, 2002, the rules made thereunder and Guidelines of Biodiversity Heritage Site (BHS).

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 254 राजपत्र–2026–(677)–599 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 153 सा0 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन–2026–(678)–100 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।

254 RPH (Paryavaran Anubhag-2) 2021 data 7e